-7-   5-27/11

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

—: आदेश :—

शस्त्र वाद संख्या–9–669/2009 में आवेदक **श्री दिपेन्द्र कुमार**, पिता–श्री भरत शर्मा, ग्राम–धौरानी टोला मोकामा, वार्ड नं0–17, पो0+थाना–मोकामा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या–88/2010 में दिनांक–24.01.2012 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक को निबंधित डाक से सूचना दी गई थी, आवेदक अनुपस्थित। आवेदक के पिता द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि श्री दिपेन्द्र उनका पुत्र है तथा वह ठीकेदारी का कार्य करता है, किसी कार्यवश वह बाहर गया हुआ है। आवेदक के पिता द्वारा अपने पुत्र के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक, बाढ़ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को बिना अनुशंसा के आवश्यक क्रियार्थ भेजी गयी है। थानाध्यक्ष, मोकामा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका–10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 की कंडिका–II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :–

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका–II की उप कंडिका–b तथा e निम्नवत है :–

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के पिता द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/ 16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/आशंका नहीं है तथा

उन्हें एक एन0पी0बोर पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश एवं आवेदक के पिता द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों– के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **श्री दिपेन्द्र कुमार,** पिता–श्री भरत शर्मा, ग्राम–धौरानी टोला मोकामा, वार्ड नं0–17, पो0+थाना–मोकामा, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Narayana kumar 11/4/13	Narayana kumar 11/4/13
जिला दण्डाधिकारी,	जिला दण्डाधिकारी,
पटना।	पटना।